"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 173] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 अप्रैल 2013—वैशाख 10, शक 1935

गृह विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 15-18/दो-गृह/लो.अ./2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक अभियोजन (राजपत्रित) सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अधिसूचना में,—

अनुसूची-चार के कॉलम (4) में, शब्द एवं अंक "12 वर्ष" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "08 वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 15-18/दो-गृह/लो.अ./2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 15-18/दो-गृह/लो.अ./2010 दिनांक 30-04-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th April 2013

NOTIFICATION

No. F 15-18/Two-Home/P.P./2010.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Public Prosecution (Gazetted) Services Recruitment and Promotion Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

In column (4) of Schedule-IV, for the word and figure "12 years", the word and figure "08 years" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. P. SHORI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.